(c) whether upgradation of MIG-27 aircrafts presently lying is hangers, in being considered as part of our negotiations with Russia; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI MULAYAM SINGH YADAV): (a) The capabilities of the Indian defence forces are being continously upgraded and modernised in the light of factors such as regional and global security environment, advances in weapons, communication and other related technologies and the regional military balance and potential capabilities.

(b) to (d) It will not be in the interest of national security to disclose details of negotiations for and the acquisition of specific defence systems and technologies.

Manufacture of Air Defence Ship

807. SHRI SANJAY DALIMIA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government have taken a decision to manufacture Air Defence Ship (ADS) indigenously;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether building of an Air Defence Ship may take upto 10 years and that the present levels of ships and submarines would drop considerably in a decade from now;

(d) if so, the cost likely to be incurred on the manufacturing of the said ship;

(e) whether the capacity utilisation of Mazagaon Dock Limited has been very low particularly on the submarine side which has been lying practically idle since may, 1994 and may lead to dissipation of such technical expertise; and

(f) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI MULAYAM SINGH YADAV): (a) to (d) There is a proposal for construction of an Air Defence Ship (ADS) indegenously at an estimated cost of Rs. 1700 crores including spares. The construction of the ship is likely to take about 10 years after the Goernment sanction is accorded.

(e) and (f) In order to utilise the facilities created for construction of submarine at M/s. MDL, which is under utilised, letters of intent have been issued to the shipyard for construction of two submarines. Apart from this, part facility is utilised for ship repair/ construction of surface ships.

अनुदान के रूप में परिवर्तित किए गए कैंटीन लाभ

808. प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्रालय ने अपने कैंटीन लाभ में से 5 करोड़ रुपये एक संस्था को अनुदान के रूप में दिये हैं;

(ख) इस संस्था का नाम क्या है और उसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या यह सोसायटी रजिस्टर्ड है यदि हां, तो किस नाम से;

(घ) इस सोसायटी ने इस अनुदान का किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया है; और

(ङ) क्या सोसायटी को अनुदान देने में नियमों का उल्लंघन हुआ है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव): (क) और (ख) जी, हां। जिन अधिकारियों की सेवाएं स्थानांतरणीय हैं उनके बच्चों के वास्ते दिल्ली में एक स्कूल खोलने के लिए नई दिल्ली, स्थित सिविल सेवा सोसाइटी को मार्च, 1996 में 5 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। सोसाइटी के उद्देश्यों में दिल्ली या दिल्ली से बाहर ऐसी शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करना शामिल है जो अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र तथा गैर-सरकारी अधिकारियों के बच्चों के वास्ते खुली होंगी। सोसाइटी के उद्देश्यों में यह भी शामिल है कि दिल्ली में सिविल सेवा अधिकारी संस्थान की स्थापना की जाए।

(ग) यह सोसाइटी दिल्ली स्थित रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज के पास "सिविल सेवा सोसाइटी" के नाम और स्टाइल से पंजीकृत है।

(घ) सोसाइटी द्वारा स्कूल पर 12 करोड़ रुपय खर्च करने की योजना है। सोसाइटी ने यह बताया है कि स्कूल

परियोजना से संबंधित विभिन्न मदों पर अब तक लगभग 10 लाख रुपये खर्च किए हैं जिसमें वास्तुकार और जून, 1997 में नियुक्त किए गए पूर्णकालिक परियोजना अधिकारी का 6.3 लाख रुपए का भुगतान आदि भी शमिल हैं।

(ङ) परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद, सोसाइटी के लिए सहायता अनुदान इस वचनबद्धता पर तत्कालीन अध्यक्ष, नियंत्रण बोर्ड, कैंटीन सेवाएं के अनुमोदन से आबंटित किया गया था कि यह स्कूल सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों की पात्र श्रेणियों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित रखेगा।

Air Crash/Accidents of IAF planes

809. SHRI S. MUTHU MANI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that fighter pilots of the Indian Air Force and Army are prone to mid-air illusions because of inadequate training;

(b) what is the total number of air crash/ accident witnessed during the last four years;

(c) whether it is a fact that most of the accidents were occurred on account of human error and spatial disorientation; and

(d) if so, the steps taken by his Ministry to prevent such accidents?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI MULAYAM SINGH YADAV): (a) to (d) Indoctrination of IAF pilots in regard to the physiological basis and likely illusions during flying is imparted followed by practical training in simmulators and actual flying. There have been 103 Category I air crashes since April 1993. Out of these 38 air accidents have taken place due to Human Error including 5 accidents due to spatial disorientation. However to curtail such accidents, on an immediate basis, Air support and attack patterns have been reviewed.

मृत सेवा-कार्मिकों के परिवारों को विशेष लाभ

810. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर सैनिकों के परिवार को अंतिम लाभ (टर्मिनल लाभ) के अंतर्गत कौन से विशेष लाभ दिये जाने का प्रावधान है;

(ख) इसके अंतर्गत वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में कितने लोगों को सेना के तीनों अंगों में लाभ पहुंचाया गया;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत सर्विस के दौरान मृत होने वाले सभी सैनिकों एवं अफसरों को सभी अंतिम लाभ योजनाओं के अंतर्गत एक समान लाभ दिया जाता है या इसमें कोई भेदभाव किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सभी के परिवारों को एक समान लाभ नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव): (क) से (घ) सेवा के दौरान सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिवारों को सेवान्त/विशेष पेंशन लाभ स्वीकृत किए जाते हैं जो इस प्रकार हैं:-

(क) यदि उनकी मृत्यु युद्ध या युद्ध जैसी संक्रियाओं, प्रति विद्रोही संक्रियाओं या सशस्त्र शत्रुओं, आतंकवादियों/उग्रवादियों, समाज विरोधी तत्वों आदि के साथ हुई मुठभेड़ या घटना में होती है तो

(1) दिवंगत कार्मिक द्वारा अंतिम बार आहरित वेतन के बराबर उदारीकृत विशेष परिवार पेंशन। या पेंशन उसकी विधवा के जीवित रहने तक या उसके अयोग्य होने तक इसी दर पर देय होती है। यदि कार्मिक की पत्नी जीवित न हो अपितु उसका केवल बच्चा/बच्चे हों तो निर्धारित दरों पर विशेष परिवार पेंशन के अतिरिक्त, बच्चों को शिक्षा भत्ता भी दिया जाता हैं। पत्नी तथा बच्चों के न होने की स्थिति में दिवंगत कार्मिक के माता-पिता को निर्धारित दरों पर पेंशन देय है।

(2) मृत्यु उपदान अर्हक सेवा की अवधि पर निर्भर करती है जो मासकि गणनीय परिलब्धियों के आधे के अधिकतम 33 गुना होगी। अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपए की हैं।

(3) सशस्त्र शत्रुओं/उग्रवादियों/आतंकवादियों तथा अन्य समाज विरोधी तत्वों आदि के साथ हुई मुठभेड या घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उदारीकृत विशेष परिवार पेंशन के अतिरिक्त 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी दी जाती हैं।

(4) अधिकतम 240 दिनों की छुट्टी नकदीकरण।

(ख) यदि मृत्यु सैन्य सेवा के कारण या उसकी गंभीरता से हुई है (युद्धेत्तर हताहत होने के मामलों में) तो,